न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 209/2017 एल आर एक्ट
अनवान नन्दसिंह बनाम मु. भुट्टो वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– उपखण्ड अधिकारी संगरिया दिनांक 11.01.2001

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
10.08.2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलान्ट स्वय अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट श्री एन.के. गांधी को ऑर्डरशीट दिनांक 29.08.2011 से बार –बार रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिसानो की सूची मय मय दस्तावेज पेश करने हेतु लगातार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आज तारीख पेशी तक रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिसानो की सूची पेश नही की गई है । पत्रावली वर्ष 2001 से विचाराधीन चल रही है। अभिभाषक अपीलांट श्री एन.के. गांधी एवं अपीलान्ट नन्दसिह को रूक– रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वय उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई वेधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट की एवं स्वय अपीलान्ट की अकारण बिना किसी आधार के अनुपस्थिती उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा अनुपस्थिती मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द कराने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	रिकार्ड लौटाया 247-248 10-9-2021